FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2024/35

अज अदालत – **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

श्री भूर सिंह पुत्र स्व. मांगीलाल **बनाम** श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नाथूसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा:– धारा 21, 22, 23, 24 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 **प्रकरण संख्या:**35 सन् 2024

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2024	प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43 व आदेश 44 अन्तर्गत धारा 21, 22, 23, 24 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 पेश की गई हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के नाम सम्पत्ति का विक्रयपत्र दिनांक 13.03.2015 निरस्त करने व भरण–पोषण हेतु न्याय दिलाने बाबत् निवेदन किया गया हैं। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 व 2 का प्रार्थी से कोई विधिक संबंध होना नहीं पाया गया हैं एवं प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं साथ ही प्रार्थी द्वारा विवादित सम्पत्ति का दिनांक 13.03.2015 को विक्रय बिना किसी शर्त के अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में किया जा चुका है जिस कारण प्रार्थना पत्र अधिनियम की धाराओं के तहत संधारणीय नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43 व 44 एवं धारा 21, 22, 23, 24 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **डॉ. भारती दीक्षित** **जिला कलक्टर, अजमेर**	